श्री अरुण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–280 (त्र–18) से उद्भूत आश्वासन सं0–1477/24 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	आश्वासन	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तगर्त वासोपट्टी प्रखण्ड के पश्चिमी कमला नहर जो छतौनी से खिरहर तक जाती है, बलकटवा के निकट नहर में पुल नहीं होने से यातायात में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर पुल का निर्माण कराकर यातायात सुविधा वहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?	प्रश्नगत मामला मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के पश्चिमी कमला नहर से संबंधित नहीं है बल्कि कमला पश्चिमी मुख्य नहर के कि0मी0 9.57 (बायाँ) से निःसृत खिरहर वितरणी से संबंधित है जो छतौनी से खिरहर की ओर जाती है, तथा बलकटवा के निकट खिरहर वितरणी के 5.93 कि0मी0 पर पुल की मांग की गई है। उक्त प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम में 4.42 कि0मी0 पर पूर्व से निर्मित पुल है, जिसके बीच की दूरी 1.51 कि0मी0 है एवं डाउनस्ट्रीम में 6.90 कि0मी0 पर पूर्व से निर्मित पुल है, जिसके बीच की दूरी 0.97 कि0मी0 है, से आवागमन की जाती है। खिरहर वितरणी के 5.93 कि0मी0 पर नहर का रुपांकित जलश्राव 55 क्यूसेक है। विभागीय मापदंड के अनुसार जिस नहर में जलप्रवाह 150 क्यूसेक से कम है वहाँ दो पुलों के बीच की दूरी 1.21 कि0मी0 होना उल्लेखित है। वर्णित स्थल के दोनों तरफ ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पक्की सड़क निर्मित है, अतः उक्त स्थल पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुल निर्माण अपेक्षित है। पुल निर्माण हेतु उक्त विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग किये जाने पर जल संसाधन विभाग द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।	वस्तुस्थिति यह है कि खिरहर उप वितरणी के कि0मी0 5.93, जहाँ पुल की मांग की जा रही है, के दोनों तरफ ग्रामीण कार्य विभाग, जयनगर द्वारा पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। प्रश्नगत स्थल पर पुल निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग जयनगर से अनुरोध किया गया है। उक्त स्थल पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुल निर्माण अपेक्षित है। पुल निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0आ0(द0)–11–15 / 2025– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–252 दिनांक–06.02.2025 के प्रसंग में आश्वासन सं0–1477 / 2024 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0आ0(द0)–11–15 / 2025– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0आ0(द0)–11–15 / 2025– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0आ0(द0)–11–15 / 2025– 1667 पटना, दिनांक– 15/04/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.04.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
13.04.26